



इकरारनामा किरायेदारों

श्रीमती संगीता गुप्ता पत्नी श्री नीरज कुमार गुप्ता निवासिनी रेलवे आवास संख्या 240 बी  
रेलगाँव कालोनी सूवेदारगंज जनपद प्रयागराज 2090

.....भवन स्वामिनी/ प्रथम पक्ष

श्री नीरज सिंह पुत्र श्री अवधेस नारायण सिंह निवासी मकान नम्बर 108 ए शास्त्री नगर  
वेदपुरवा गाजीपुर 2090

.....किरायेदार /द्वितीय पक्ष

जो कि प्रथम पक्ष फ्लैट नम्बर डी -26 ,तृतीय तल, पारसग्रीन अपार्टमेंट, मुण्डेरा  
जनपद प्रयागराज 2090 की मालकिन का किराया व दाखिल है। जो कि हर तरह से पाक व साफ  
है। द्वितीय पक्ष को अपने आवासीय प्रयोजन हेतु किराये के मकान की आवश्यकता थी उक्त के  
सम्बन्ध में मुझ प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष ने किराये पर मकान लेने के वावत वात किया और  
द्वितीय पक्ष किरायेदार उक्त फ्लैट को अपने आवासीय हेतु किराये पर लिया है जिस पर दोनों  
पक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह किरायेदारी इकरारनामा लिखकर पाबन्द होते हैं।

1. यह है कि किरायेदारी दिनांक 01.10.2022 से शुरू होकर दिनांक 31.08.2022 को समाप्त होगी यानी 11 माह की होगी।
2. यह है कि मकान उपरोक्त का किराया रू प्रतिमाह की दर से तय की गयी है द्वितीय पक्ष फ्लैट का मेट्रेन्स चार्ज व बिजली का बिल किरायेदार अपने उपयोग व उपभोग के अनुसार प्रतिमाह अलग से अदा करेगा।
3. यह है कि द्वितीय पक्ष किराया प्रतिमाह 01 तारीख को अदा करेगा।
4. यह है कि प्रथम पक्ष जब भी मकान खाली करना चाहेगी द्वितीय पक्ष को एक माह की नोटिस देकर मकान खाली करा सकती है। द्वितीय पक्ष इसमें कोई हीला हवाली नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीयपक्ष जब भी मकान खाली करना चाहेगा एक माह की नोटिस देकर मकान खाली कर सकता है।



Sangeeta Gupta

9/10/22



6. यह कि द्वितीयपक्ष मकान उपरोक्त के किरायेदारी वाले भाग में किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ रददो बदल व रंगरोगन बिना प्रथमपक्ष की इजाजत के नहीं करेगा तथा किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के असंवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों को प्रवेश की इजाजत देगा। यदि ऐसा करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।
6. यह कि लगातार 2 माह तक किराया न देने पर प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को उक्त मकान से बेदखल कर देगा।
7. यह कि द्वितीयपक्ष मकान उपरोक्त जब भी खाली करेगा उसका कब्जा प्रथमपक्ष को देगा। और अपने किरायेदारी वाले भाग में किसी को शिकमी किरायेदार नहीं रखेगा।
8. यह कि किरायेदारी 11 माह लिए लिखी जा रही है परन्तु यदि द्वितीयपक्ष आगे भी किरायेदारी बढ़ाना चाहेगा तो संबन्ध अच्छे रहने पर प्रथमपक्ष की रजामंदी से किरायेदारी आगे बढ़ायी जा सकेगी। जिसकी लिखा पढी नये शर्तों से होगी।
9. यह कि उपरोक्त किसी भी शर्त के वादा खिलाफी करने पर द्वितीयपक्ष को मकान उपरोक्त से बेदखल कर दिया जायेगा।

लिहाजा यह किरायेदारी इकरारनामा उभयपक्षों ने अपने स्वस्थचित मन मस्तिष्क की दशा में बिना किसी जोर जबरजस्ती दबाव नाजायज के समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

Sangeeta Gupta

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष/भवन स्वामी

J. K. Sharma

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष/किरायेदार



दिनांक - 15.09.2022

The contents has been verified by me before the office at Allahabad the document is correct and the content of the documents has been explained to the Executed which was found to be correct.  
Ramesh Chandra Ojha  
Advocate Notary  
H. Q. Allahabad

15-9-22  
R. C. Ojha  
Advocate Notary  
H. Q. Allahabad